अति गोपनीय

संख्या : 3618 आर/छ-पु-5-670/83

प्रेषक,

के0 के0 बाजपेई,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनॉकः 16 सितम्बर, 1994

विषयः आग्नेयास्त्रों एवं गोला बारूद के व्यवसायिक लाइसेंस के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या-3618 आर/छ-पु-5-670/83, दिनॉक 30 अगस्त, 1994 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आग्नेयास्त्र व्यवसाय हेतु प्रपत्र-11,12,13 एवं 14 पर लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के संबंध में अत्यन्त सावधानी से जॉच कराने एवं औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में निर्धारित बिन्दुओं पर सूचनायें प्राप्त किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाय।

2- अतः अनुरोध है कि आग्नेयास्त्रों के व्यवसायिक लाइसेंसों के संबंध में शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ आयुध अधिनियम की धारा-13 के अनुसार राजपत्रित पुलिस अधिकारी की संस्तुति, अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति मूलरूप में एवं जिला मजिस्ट्रेट की स्वयं की संस्तुति के साथ-साथ आवेदित लाइसेंस एवं मामले की प्रकृति के अनुसार संलग्न सूची, ए,बी, एवं सी में इंगित बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना भी शासन को उपलब्ध कराने के कष्ट करें।

संलग्नक : सूची-ए,बी एवं सी

भवदीय,
(के0के0 बाजपेई)
उप सचिव।

सूची - ए

नये आग्नेयास्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-11 (विक्रय के प्रयोजनार्थ) 12,13 एवं 14 की स्वीकृति हेतु जॉच के बिन्दु।

1- जनपद की जनसंख्या / शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या।
2- जनपद में प्रपत्र-11 (केवल मरम्मत), प्रपत्र-11 (मरम्मत एवं विक्रय) प्रपत्र-12, प्रपत्र-13 एवं प्रपत्र-14 के पृथक-पृथक कितने लाइसेंस हैं। आवेदित लाइसेंस के अनुसार प्राप्त किया जाय।
3- व्यवसायिक स्थल का निरीक्षण किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित पुलिस अधिकारी से कराया गया है। क्या वह स्थान पूर्णतः सुरक्षित बताया गया है।
4- आवेदित का आपराधिक इतिहास?
5- किन-किन प्रपत्रों में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस आवेदक के नाम से लाइसेंसी/सह लाइसेंसी/साझेदार के रूप में है? यह किन-किन जनपदों में हैं।
6- आवेदक के परिवार के सदस्यों के पास किन-किन प्रपत्रों में और कहॉ-कहॉ व्यवसायिक लाइसेंस हैं तथा किन-किन प्रपत्रों पर वे साझेदार/सह लाइसेंसी हैं।
7- निर्धारित प्रपत्र-ए में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियों की जॉच की गयी है? इसमें कोई विपरीत तथ्य तो नहीं पाये गये।

सूची - बी

<u>प्रपत्र-11 में मरम्मत के लाइसेंस के संबंध में जॉच के बिन्दु :-</u>

(1) आवेदक ने शस्त्रों की मरम्मत का कार्य कहॉ से सीखा है। अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र दिया जाय।
(2) यदि आवेदक शस्त्रों की मरम्मत का कार्य स्वयं नहीं करेगा तो क्या उसके पास कुशल कारीगर हैं तथा सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं।
(3) कारीगर के संबंध में उसका विवरण, उसके अनुभव का प्रमाण तथा उसके चाल-चलन के संबंध में पुलिस रिपोर्ट।

सूची - सी

<u>यदि आवेदक पहले से ही शस्त्र व्यवसाय में लिप्त है तो जॉच के बिन्दु :-</u>

1- आवेदक की शस्त्र की दूकान का गत निरीक्षण कब किया गया था।
2- गत निरीक्षण के दौरान दूकान में कोई अनियमितता तो नहीं पायी गयी।
3- गत निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितत/अनियमितताओं का निराकरण कर दिया गया है, यदि नहीं तो कारण सहित पूर्ण विवरण।

- क्या आवेदक द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख जिला कार्यालय के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।
- आवेदक के पास यदि अन्य जनपद में शस्त्र व्यवसाय है तो एक से अधिक जनपदों में किस प्रकार व्यापार का संचालन करेगा।
- यदि वह स्वयं संचालन नहीं करेगा तो किसके माध्यम से व्यवसाय का संचालन किया जायेगा। लाइसेंस पर मैनेजर, अभिकर्ता, पार्टनर के चाल-चलन आदि के संबंध में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त किया जाय।